

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*174  
जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल मिशन

\*174. श्री भोला सिंह:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत अब तक की गई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का लक्ष्य-वार, वर्ष-वार और उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में 50-60 प्रतिशत की वृद्धि करने का विचार है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“राष्ट्रीय जल मिशन” के संबंध में दिनांक 14.12.2023 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*174 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) की स्थापना जलवायु परिवर्तन संबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुसार की गई थी जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को इसे जारी किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन सरकार और सरकार के बाहर कई हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है जिससे कि नीतिगत अंतर को दूर किया जा सके और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु एकजुट होकर कार्य किए जा सकें। राष्ट्रीय जल मिशन, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश भर में एकीकृत जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के माध्यम से "जल संरक्षण का कार्य करने, जल की बर्बादी कम करने और राज्यों और राज्यों के भीतर दोनों ही में इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने" के मुख्य उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय, एक केन्द्रीय योजना अर्थात् जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे 15वीं वित्त आयोग अवधि अर्थात् वर्ष 2021-2026 के दौरान आगे जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया था।

(ग): जहां तक वास्तविक प्रगति का संबंध है, राष्ट्रीय जल मिशन का निरंतर प्रयास रहा है कि वह राष्ट्रीय जल मिशन की योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे और केन्द्र एवं राज्यों के विभागों के समन्वय और परामर्श से लगातार इन योजनाओं की निगरानी की जाए। योजना की वास्तविक प्रगति का आकलन संबंधित हितधारकों के परामर्श से समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में राष्ट्रीय जल मिशन की लक्ष्य-वार वास्तविक प्रगति के कुछ मात्रात्मक घटकों को निम्नवत दिया गया है:

<p><b>लक्ष्य 1: पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार</b></p>	<p>पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की भारत-डब्ल्यूआरआईएस वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है। वेबसाइट को <a href="http://indiawris.gov.in">indiawris.gov.in</a> पर देखा जा सकता है।</p>
<p><b>लक्ष्य 2: जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन</b></p>	<p>जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन पर सात अध्ययनों को पूरा किया जा चुका है। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन पर पूर्ण किए गए अध्ययनों की सूची को अनुलग्नक में दिया गया है।</p>
<p><b>लक्ष्य 3: जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल संरक्षण हेतु नागरिकों और राज्य के कार्यों</b></p>	<p>राष्ट्रीय जल मिशन वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें 1.00 करोड़ से अधिक पानी संबंधी कार्यों (उत्तर प्रदेश में लगभग 6.75 लाख पानी संबंधी</p>

<p>को बढ़ावा देना; और अतिदोहित क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।</p>	<p>कार्य और पश्चिम बंगाल में लगभग 2.28 लाख पानी संबंधी कार्य) के साथ-साथ लगभग 130 करोड़ पौधे (उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे और पश्चिम बंगाल में लगभग 23 लाख पौधे लगाए गए) रोपण करने का कार्य किया गया है, जिसमें देश भर के 3 मिलियन कार्यों में 40 मिलियन से अधिक युवाओं की भागीदारी शामिल है। अब तक, देश में, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 661 जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं और 518 जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 75 जल शक्ति केंद्र और पश्चिम बंगाल में 23 जल शक्ति केंद्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों ने जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की हैं और पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले ने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है।</p> <p>राष्ट्रीय जल मिशन ने जनता के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से 50 जल वार्ताएं, जिलाधिकारियों के साथ 40 संवाद और विभिन्न कार्यशालाएं/सेमिनार भी आयोजित किए हैं।</p>
<p>लक्ष्य 4: पानी की उपयोग दक्षता में 20% तक बढ़ोत्तरी करना</p>	<p>राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो का गठन अक्टूबर 2022 में किया गया है, जिसका कार्य जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना है। राष्ट्रीय जल मिशन ने पूर्ण हो चुकी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता के आकलन के उद्देश्य से छह राज्यों को कवर करने वाले चार संस्थानों को 26 बेसलाइन अध्ययन और जल सघन उद्योगों की ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान (द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट-टेरी) को बेंचमार्किंग अध्ययन करने का कार्य भी सौंपा गया है।</p>
<p>लक्ष्य 5: बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना</p>	<p>राष्ट्रीय जल मिशन ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं (एसएसएपी) तैयार करने का कार्य सौंपा है।</p>

पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय जल मिशन योजना की वित्तीय प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	राजस्व (करोड़ रु.)	पूंजी (करोड़ रु.)	कुल (करोड़ रु.)
2018-19	5.99	0	5.99
2019-20	3.84	0.5	4.34
2020-21	5.25	0.19	5.44

2021-22	10.74	0.00	10.74
2022-23	15.71	0.00	15.71

**(घ) और (ङ):** राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन दस्तावेज के लक्ष्य 4 में, जल उपयोग दक्षता में 20% तक बढ़ोत्तरी करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अक्टूबर, 2022 के दौरान राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) के रूप में एक समर्पित संगठन की स्थापना की गई है, जो मिशन मोड में कार्य करेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों नामतः सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों आदि में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने की एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेगा।

**(च):** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित राष्ट्रीय जल मिशन की वास्तविक प्रगति के अलावा, राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

- i. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली गणना रिपोर्ट 25.04.2023 को जारी की गई है। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों का एक राष्ट्रीय आंकड़ा आधार विकसित करना था जिससे कि सूचित निर्णय लिए जा सके और पब्लिक डोमेन में प्रामाणिक जल आंकड़ों को उपलब्ध कराया जा सके।
- ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का आवधिक रूप से आकलन किया जाता है।
- iii. जलभृतों में भूजल की मात्रा, गुणवत्ता और धारण क्षमता का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- iv. केन्द्रीय जल आयोग के पास जल संसाधन आयोजना और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सभी नदी बेसिनों में हाइड्रोलॉजिकल प्रेक्षण स्टेशनों का एक नेटवर्क है। उल्लिखित ऐसे मॉनिटर किए गए जल आंकड़ों को भारत-जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) पर अपलोड किया जाता है जिसका उद्देश्य पब्लिक डोमेन में आंकड़ों का प्रसार करना होता है।
- v. बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के अंतर्गत बांध की जल विज्ञान संबंधी सुरक्षा समीक्षा के एक भाग के रूप में बांधों में उनके बाढ़ डिजाइन समीक्षा अध्ययन किए जाते हैं।
- vi. जल जीवन मिशन ने जल विरासत संरचनाओं के सांस्कृतिक महत्व और ऐसी संरचनाओं के जल संरक्षण/पुनरुद्धार के महत्व के संबंध में नागरिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए 75 जल विरासत स्थलों की पहचान की है। इन 75 संरचनाओं का विवरण भारत-

डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल के अंतर्गत सार्वजनिक डोमेन "जल इतिहास" पोर्टल (<https://indiawris.gov.in/wris/#/jalitihaas>) के उप-पोर्टल पर उपलब्ध है।

- vii. राष्ट्रीय जल मिशन नागरिकों, द्वारा विशेषकर युवाओं और बच्चों में जागरूकता लाने और सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए, गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें कार्यशालाओं/वेबिनारों/संगोष्ठियां आयोजित करना, फिल्मों/जिंगल्स/गीतों के माध्यम से जल संदेशों को प्रचारित करना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से नुक्कड़ नाटक/नारे/दीवार लेखन आदि का आयोजन करना शामिल है। मौजूदा वर्ष में, राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा टेलीविजन पर 'जस्ट जूनियर' श्रृंखला के प्रसारण, 'मिशन लाईफ' को बढ़ावा देने, ट्रेनों पर विनाइल रैपिंग आदि के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग किया था।

\*\*\*\*\*

“राष्ट्रीय जल मिशन” के संबंध में दिनांक 14.12.2023 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या \*174 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव के आकलन को लेकर पूरे किए गए अध्ययनों की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य/संस्थान
1.	महानदी नदी बेसिन के जल-मौसम संबंधी प्रक्रियाओं और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन	आईआईएससी बेंगलोर (लीड इंस्ट.)
		आईआईटी भुवनेश्वर
2.	अंतर्देशीय जल निकासी और माही बेसिन के राजस्थान क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन	एमएनआईटी जयपुर (लीड इंस्ट.)
		सीयू अजमेर राजस्थान
		आईआईटी दिल्ली
3.	तापी बेसिन के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	एसवीएनआईटी सूरत (लीड इंस्टीट्यूट/.)
		एमएनआईटी जयपुर
		एमएनआईटी भोपाल
4.	सुवर्णरेखा बेसिन में स्थानिक और अस्थायी जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग/भूमि कवर परिवर्तन के प्रभाव	आईआईटी खड़गपुर
5.	साबरमती बेसिन के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	आईआईटी गांधीनगर (लीड इंस्टीट्यूट)
		एसवीएनआईटी सूरत
6.	ताद्री से कन्याकुमारी तक नदी बेसिनों के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	आईआईटी मुंबई (लीड इंस्ट.)
		एनआईटी सूरथकल
		सीडब्ल्यूआरडीएम कोझिकोड
7.	जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सीएमआईपीएस सिमुलेशन के साथ हाइड्रो-जलवायु अनुमानों की सांख्यिकीय डाउनस्केलिंग	आईआईटी मुंबई (लीड इंस्ट.)
		आईआईटी गुवाहाटी
		आईआईएससी बेंगलोर
		आईआईटी गांधीनगर
		आईआईटी कानपुर